विवरणिका

2023-24

प्राचार्य एवं संरक्षक

प्रो0 (डॉ.) अशोक कुमार गुप्ता

संपादन एवं संयोजन

प्रो0 (डॉ.) मनीषा शर्मा

राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा 324001

Phone No.: 0744 - 2324075

E-mail: girlsartskota@gmail.com

Web Page at College Portal: http://www.hte.rajasthan.gov.in/college/ggcakota

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्राचार्य संदेश	3-5
2.	हमारा महाविद्यालय : परिचय	6
3.	प्रवेश सम्बन्धी सूचनायें	7-9
4.	आयुक्तालय द्वारा दिशा-निर्देश	10
5.	अति आवश्यक नियम	11-12
6.	प्रतिबन्धित विषय समूह	13
7.	निर्धारित विषय	14-15
8.	विषयवार स्वीकृत खण्ड	16
9.	शुल्क भुगतान सम्बन्धी सूचनाएँ	17
10.	महाविद्यालय विकास समिति	18
11.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	19-21
12.	अनुशासनात्मक कार्यवाही	22
13.	पुस्तकालय	23-25
14.	छात्रावास	26-27
15.	विशिष्ट गतिविधियाँ	28-30
16.	सुविधाएँ	31
17.	अनिवार्य उपस्थिति नियम	32-33
18.	पुरस्कार	34-36
19.	सर्वश्रेष्ठ छात्रा नियम	37-38
20.	प्रवेश समितियाँ	39-40
21.	हैल्प डेस्क	41
22.	महाविद्यालय परिवार	42-45

प्राचार्य संदेश

प्रिय छात्राओं,

हाडौती अंचल की हृदय स्थली सम्पूर्ण भारतवर्ष में शैक्षणिक प्रतिमान स्थापित करने वाली चर्मण्यवती नदी के किनारे स्थित कोटा नगरी के सबसे विशाल महिला महाविद्यालय में सत्र 2023-24 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन करता हूँ।

आप सभी बधाई के पात्र हैं। विधालयी शिक्षा का महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर आप विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्ति हेतु जिस महाविद्यालय परिवार की सदस्य बनने जा रही हैं उसने राजस्थान के उच्च शिक्षा संस्थानों में न केवल छात्र संख्या के आधार पर अपितु गुणात्मक श्रेष्ठता की दृष्टि से भी मात्र सात वर्षों में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। साथ ही राजस्थान के पाँच ऑइकन महाविद्यालयो में इसका नाम शामिल किया गया है।

आज जब आप महाविद्यालय प्रवेश की देहरी पर खड़ी हैं, उस समय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है जिसके अंतर्गत व्यापक स्तर पर प्रशासनिक और शैक्षणिक परिवर्तन किये जा रहे हैं, साथ ही युवा वर्ग को अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर परिवर्तन के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिये कृतसंकल्प है।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा विकास केन्द्र, एन.सी.सी. (आर्मी विंग, एयर विंग), स्काउट, रेंजरिंग, योजना मंच, दिशा केन्द्र, नाट्य-परिषद्, नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ और खेल-कूद साहित्यिक मंच, सांस्कृतिक, आदि गतिविधियों के माध्यम से बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास करने का धरातल प्रदान किया जाता है। गत वर्ष से आयुक्तालय के आदेशानुसार वैश्वीकरण के प्रतिस्पर्धात्मक युग में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति हेतु छात्राओं के लिए विषय-विशेषज्ञों और अनुभवी एवं योग्य

शिक्षकों द्वारा निःशुल्क कोचिंग कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। जो विद्यार्थी नियमित अध्ययन नही कर सकते हैं उनके लिए महाविद्यालय में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के कोर्स - भोजन एवं पोषण, बिजनेस स्टडीज, टूरिज्म स्टडीज इत्यादि विभिन्न कोर्स संचालित है। इस वर्ष से महाविद्यालय को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र बनाया गया है।

किसी महाविद्यालय की पहचान और गरिमा उसके विद्यार्थियों से ही है। महाविद्यालय उनके व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण का तपोवन है। जहाँ आपके भीतर छिपी अबूझ व अनजान क्षमताओं को प्रस्फुटित कर आप ही की ऊर्जा से संचित कर एक सम्पूर्ण मानव के रूप में आपको स्थापित करने का दायित्व इस महाविद्यालय के शिक्षकों का है वहीं विनम्र भाव से कठिन श्रम करने का, दृढ़ चरित्र के गठन का, कोमल व परुष का संगम बन पाने का एवं परिस्थिति की आवश्यकतानुसार अपने गुणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करना आपका कर्त्तव्य है। आपके शिक्षकों का परिपक्व, शालीन एवं सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ्य निर्देशन आपकी थाती है। आपकी रचनात्मक प्रतिभा का आलोक विश्वव्यापी बन सके ऐसी हमारी आशा है।

महाविद्यालय में आगम से निर्गम तक की अवधि आपके जीवन का सर्वोत्तम समय है। यह अवधि आपको काँटों के बीच धैर्य, त्वरित गति के साथ विराम, सफलता के साथ सार्थकता, प्रतिस्पर्धा के साथ संतोष, निराशा के बीच आाशा एवं अंधकार के बीच आलोकित रहने का महान गुर सिखा सके तभी स्वयंसिद्ध है यह महाविद्यालय और इसकी शिक्षा। आतुर हैं हम अपना सर्वस्व आप पर न्यौछावर करने को संकल्पित है हम आपके ध्येय पूर्ति तक आपको पहुँचाने को, तत्पर हैं हम आपकी प्रखरता व व्यक्तित्व को सदा-सर्वदा इस महाविद्यालय में अंकित कर लेने को।

यह महाविद्यालय आपको बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के साथ सम्पूर्ण मानव बनाये इसी आशा के साथ आपके उज्जवल और सुखद भविष्य की कामना करते हुए।

प्रो0 (डॉ.) अशोक कुमार गुप्ता
प्राचार्य
राजकीय कला कन्या महाविद्यालय
कोटा

हमारा महाविद्यालय: परिचय

सन् 1958 में कला संकाय के रूप में स्थापित हुआ जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय के नाम से 10 मई 2016 के आदेश को आधार मानते हुए यह राजकीय कला कन्या महाविद्यालय के रूप में नवीन पुनर्गठित महाविद्यालय स्थापित हुआ। वर्तमान में इस महाविद्यालय में 17 विषय संचालित हैं एवं 7 विषयों में नियमित और 2 विषयों में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर कक्षायें चल रही हैं। महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्य अपने विषयों में पूर्ण रूप से पारंगत हैं एवं उनके राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में विभिन्न शोधपत्र प्रकाशित होते रहते हैं। महाविद्यालय में 24 शोध निदेशक हैं जिनके निर्देशन में विभिन्न विद्यार्थी शोध कार्य कर रहे हैं।

महाविद्यालय की छात्राएँ भी विभिन्न क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित किये हुए हैं। छात्राओं ने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं, और राष्ट्रीय सेवा योजना एन.सी.सी. एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओ में निरन्तर कीर्तिमान स्थापित किये हैं।

वर्तमान में राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा पैतृक महाविद्यालय जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय के परिसर में ही संचालित है।

प्रवेश सम्बन्धी सूचनाएँ

1. आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा के निर्देशानुसार सत्र 2023-24 में स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय एंव स्नातकोत्तर (उतरार्द्ध) कक्षाओं की छात्राओं को ऑनलाइन प्रमोट कर ई मित्र पर शुल्क जमा कराना होगा| सम्बन्धित सूचनाएँ, आवश्यक रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा महाविद्यालय सूचना पट्ट पर चस्पा होंगी

2. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा नामांकित होने पर ही छात्रा का प्रवेश पूर्ण स्थायी माना जायेगा तथा प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के नियमों की अनुपालना की जायेगी।

3. प्रत्येक विषय के वर्ग (सैक्शन) निर्धारित हैं, अतः विषयों में छात्राओं को प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जायेगा।

4. विषय परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रवेश की अन्तिम तिथि से 15 दिन बाद तक ही आवेदन मय शुल्क 200/- रूपये लिया जायेगा।

5. छात्राओं की प्रवेश सम्बन्धी सहायता हेतु महाविद्यालय द्वारा एक हैल्प डेस्क समिति गठित की गई है। कृपया उनसे नवीनतम सूचना प्राप्त कर प्रवेश सम्बन्धी कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त करें।

6. महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी सभी नियम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर राज. की प्रवेश नीति एवं कोटा विश्वविद्यालय, कोटा नियमानुसार लागू होंगे |

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया 2023-24 के सम्बन्ध में दिशा निर्देशानुसार (ओएपी)

i राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को सरल, सहज, सुगम व पारदर्शी बनाने की दृष्टि से प्रथम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत तीन सत्रों से प्रथम एंव स्नाकोत्तर पूर्वाद्ध में चरणबद्ध रूप से समस्त राजकीय महाविद्यालयों के स्नातक पार्ट प्रथम में ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया लागू है। तथा द्वितीय, तृतीय एंव स्नातकोत्तर उत्तराद्ध कक्षाओं में नवीनीकरण की प्रक्रिया भी ऑनलाईन होगी।

ii ऑन लाइन एडमिशन प्रोसेस विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध Admission link के द्वारा ऑन लाइन आवेदन फार्म प्रवेश कार्यक्रमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया, फार्म भरने के निर्देश तथा तिथियों आदि की जानकारी प्रवेश नीति के अनुसार वेबपोर्टल पर उपलब्ध होगी।

iii ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के अर्न्तगत समस्त पाठ्यक्रमों की प्रवेश सूचियां - अन्तरिम/अन्तिम महाविद्यालय के एडमिशन वेब पृष्ठ पर उपलब्ध करवायेंगे।

iv महाविद्यालयों में कक्षानुसार उपलब्ध सीटों के लिए प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची वरीयता क्रम में जारी की जायेगी। प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची में से निर्धारित तिथि तक शुल्क नहीं जमा कराने के कारण रिक्त रहे स्थानों की पूर्ति हेतु, अन्य वर्णित शर्तों की पालना करते हुए द्वितीय अन्तरिम प्रवेश सूची जारी की जायेगी। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं कराने के कारण रिक्त रहे स्थानों की पूर्ति हेतु तृतीय अन्तरिम प्रवेश सूची तथा महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार(100, 200 एवं 300 प्रतिशत) प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी। फिर भी स्थान रिक्त रहने पर प्रवेशित विद्यार्थियों की चतुर्थ सूची के साथ प्रतीक्षा सूची निकाली जा सकेगी।

v प्रत्येक प्रवेश सूची मय प्रतीक्षा सूची जारी होने के पश्चात् समस्त अभ्यर्थियों को मूल अंक तालिकायें, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की जॉच महाविद्यालय में करानी होगी। सत्यापन के बाद ही ई-मित्र काउन्टर पर/नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड द्वारा शुल्क जमा कराना होगा।

vi प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को भी दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर अंतरिम प्रवेश शुल्क ई-मित्र पर निर्धारित तिथि तक जमा करवाना होगा। प्रतीक्षा सूची में से शुल्क जमा करवा चुके ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश नहीं हो पाता है उनके द्वारा जमा करवाया गया शुल्क महाविद्यालय द्वारा लौटा दिया जायेगा।

नोटः-

1. प्रवेश सम्बन्धी निर्धारित कार्यक्रम एवं समस्त सूचनाऐं कॉलेज शिक्षा विभाग की वेब साइट (www.hte.rajasthan.gov.in) के महाविद्यालय के ''एडमिशन वेब पृष्ठ'' पर उपलब्ध रहेंगी।

2. महाविद्यालय में हैल्प डेस्क का गठन किया गया है, कृपया इसका लाभ उठावें।

नोट :- नये दिशा निर्देश संलग्न किये जावेंगे

अति आवश्यक नियम

विवरणिका में दिये गये सभी विवरणों को छात्रायें, माता-पिता एवं संरक्षक ध्यान से पढ़ें।

1. छात्राएँ प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनाओं के लिये महाविद्यालय सूचना पट्ट प्रतिदिन अवश्य देखें। (कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की वेबसाइट पर देखें)

2. सभी नियमित छात्राएँ अपना परिचय पत्र अवश्य बनवाएँ तथा इसे महाविद्यालय में सदैव अपने पास रखें।

3. कक्षाओं में छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, अतः कक्षाओं में नियमित रहें। आयुक्तालय के आदेशानुसार 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाली छात्राओं की सूची प्रत्येक माह महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी एवं कॉलेज वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगी। कृपया छात्राएं एवं अभिभावक इस सूचना से अवगत होकर उपस्थिति प्रतिशत बरकरार रखने हेतु उचित कदम उठायें। प्रतिदिन की सूचनाएं वॉट्स अप ग्रुप पर भी आवश्य देखें।

4. प्रवेश एवं तत्सम्बन्धी कार्यों के लिये छात्राएं स्वयं सम्पर्क करें। महाविद्यालय परिसर में अकारण बाहरी व्यक्तियों को साथ न लायें। महाविद्यालय का लक्ष्य छात्राओं को उत्तरदायी एवं आत्मनिर्भर बनाना है। छात्राएं स्वयं आएं अथवा अति आवश्यक होने पर महिला अभिभावक को साथ लायें।

5. छात्राएं अपने प्रवेश फार्म तथा अंकतालिकाएँ स्वयं सत्यापित करके ही लायें। नवीन प्रवेश लेने वाली छात्राओं को अपने फॉर्म के साथ अंकतालिका, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, माईग्रेशन प्रमाण पत्र, खेलकूद, एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्काउटिंग एवं जाति प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि लगाना आवश्यक है। स्वयं का ही फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर फॉर्म में अवश्य लिखें। किसी अन्य का नही।

6. अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकतालिका, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं प्रव्रजन प्रमाण पत्र फीस जमा करवाने के समय जमा कर लिए जाएंगे।

7. अन्य विश्वविद्यालय की छात्राएं स्नातक द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में प्रवेश नहीं ले सकती हैं।

8. छात्राएं अपने वाहन छात्राओं के लिये निर्धारित स्थान पर ही रखें।

9. महाविद्यालय की स्वच्छता, सुव्यवस्था एवं अनुशासन को बनाए रखने में सहयोग करें।

10. छात्राएं प्रवेश फॉर्म पर अपना बचत खाता नम्बर, IFSC कोड एवं बैंक का नाम और आधार नम्बर अवश्य अंकित करें, अन्यथा छात्रवृत्ति का भुगतान सम्भव नहीं होगा।

11. महाविद्यालय में कक्षा-कक्षों में अध्ययन के दौरान मोबाइल-फोन सर्वथा वर्जित है। अध्ययन के समय मोबाइल का प्रयोग करते पाये जाने पर प्रशासन द्वारा कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। अति आवश्यक कार्य होने पर प्राचार्य की अनुमति से छात्राएं महाविद्यालय के दूरभाष का उपयोग कर सकती हैं।

12. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यदि कोई छात्रा रैगिंग की किसी भी घटना में लिप्त पाई गई तो उसे संस्था से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।

13. छात्राएं कचरा पात्र का उपयोग करें।

नोटः उपर्युक्त सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा

प्रतिबंधित विषय समूह

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के अनुसार बी.ए. पार्ट प्रथम की वर्ष 2015 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये नीचे दी गई सारिणी के कॉलम नम्बर-1 में वर्णित विषय के सामने कॉलम नम्बर-2 में दर्शाये गये विषय लेना प्रतिबंधित (मना) है।

	कॉलम नं. 1	कॉलम नं. 2			
1.	अंग्रेजी साहित्य	1. पर्शियन	2. अरेबिक		
2.	हिन्दी साहित्य	1. अरेबिक	2. उर्दू	3. सिंधी	4. पर्शियन
3.	लोक प्रशासन	1. अरेबिक	2. पर्शियन	3. संगीत	4. चित्रकला
4.	इतिहास	1. गणित	2. सांख्यिकी		
5.	अर्थशास्त्र	1. अरेबिक	2. पर्शियन	3. संगीत	4. चित्रकला
6.	राजनीति विज्ञान	1. गणित	2. सांख्यिकी		
7.	समाजशास्त्र	1. अरेबिक	2. पर्शियन		
8.	भूगोल	1. दर्शनशास्त्र	2. संगीत		
9.	मनोविज्ञान	1. अरेबिक	2. पर्शियन	3. चित्रकला	
10.	उर्दू	1. हिन्दी	2. संस्कृत	3. सिंधी	4. गणित
11.	संस्कृत	1. उर्दू	2. अरेबिक		
12.	दर्शनशास्त्र	1. भूगोल			

नोटः- हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी साहित्य तीनों विषय एक साथ नहीं लिये जा सकते हैं। तीन प्रायोगिक विषय लेना प्रतिबन्धित है

निर्धारित विषय

कला संकाय में निम्नलिखित विषय उपलब्ध हैं, उपलब्ध स्थानों पर वरीयता के अनुसार विषयों का आवंटन किया जाएगा।

वैकल्पिक विषय					
समूह - 1	**समूह - 2**	**समूह - 3**	**समूह - 4**	**समूह - 5**	**समूह - 6**
संस्कृत	दर्शनशास्त्र	अंग्रेजी साहित्य	इतिहास	समाजशास्त्र	लोक प्रशासन
हिन्दी साहित्य	भूगोल	गृहविज्ञान	जी.पी.ई.एम.	राजनीति विज्ञान	चित्रकला
उर्दू	संगीत (कंठ/वाद्य)		टी.डी.पी.		
अर्थशास्त्र					
मनोविज्ञान					

नोटः- छात्राएँ प्रत्येक ग्रुप से एक विषय का चयन करते हुऐ कोई भी तीन विषय ले सकती हैं। आवेदन पत्र में सभी विषयों को वरीयता क्रम में प्राथमिकता अनुसार भरें। ध्यान दें कि इच्छित विषय में स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में कॉलेज प्रशासन/प्रवेश समिति द्वारा आवंटित विषय का ही अध्ययन करना होगा। जहां पाँच से अधिक विषय संयोजन हैं, कम से कम पाँच व अधिकतम सात विषय संयोजन का चयन करें।

अनिवार्य विषय- पार्ट प्रथम (समस्त संकाय)

1. प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग (Elementary Computer)
2. पर्यावरण अध्ययन (Environmental Studies)
3. सामान्य अंग्रेजी (General English)
4. सामान्य हिन्दी (General Hindi)

स्नातकोत्तर कक्षाएं

(महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं की सुविधा है)।

कला संकाय	
1. अर्थशास्त्र (Economics)	
2. हिन्दी (Hindi)	9.
3. इतिहास (History)	
4. संगीत (Music)	
5. राजनीति विज्ञान (Political Science)	
6. लोक प्रशासन (Public Administration)	
7. समाजशास्त्र (Sociology)	
8. गृह विज्ञान (Home Science) स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत	
9. जी.पी.ई.एम. (G.P.E.M.) स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत	

विषयवार स्वीकृत खण्ड कला संकाय 2023

कला संकाय

1.	चित्रकला	Drawing and Painting	01
2.	अर्थशास्त्र	Economics	02
3.	अंग्रेजी साहित्य	English Literature	04
4.	जी.पी.ई.एम.	Garment Production and Export Management	01
5.	भूगोल	Geography	02
6.	हिन्दी साहित्य	Hindi Literature	07
7.	इतिहास	History	03
8.	गृह विज्ञान	Home Science	04
9.	संगीत(कंठ/वाद्य)	Music (Vocal/Instrumental)	01
10.	दर्शनशास्त्र	Philosophy	02
11.	राजनीति शास्त्र	Political Science	05
12.	मनोविज्ञान	Psychology	02
13.	लोक प्रशासन	Public Administration	04
14.	संस्कृत	Sanskrit Literature	02
15.	समाज शास्त्र	Sociology	09
16.	टी.डी.पी.	Textile Dyeing and Printing	01
17.	उर्दू साहित्य	Urdu Literature	01

शुल्क भुगतान सम्बन्धी सूचनाएं

1 समस्त वार्षिक शुल्क प्रवेश के समय एक ही किश्त में लिया जायेगा।

2 प्रवेशित शुल्क सम्बंधित सभी नियम आयुक्तालय के दिशानिर्देश रहेंगे।

3 रक्षित द्रव्य केवल नवीन प्रवेश चाहने वाली छात्राओं से ही लिया जायेगा।

4 महाविद्यालय शुल्क प्राप्ति की रसीद को सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता के समय दिखाई जा सके।

5 पात्रता एवं प्रव्रजन शुल्क कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अथवा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अजमेर के क्षेत्र के बाहर की संस्थाओं से आनी वाली छात्राओं से नियमानुसार लिया जायेगा।

6 रक्षित द्रव्य राशि महाविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राओं को जिन पर कोई बकाया नहीं है लौटा दी जायेगी।

7 महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष बाद तक छात्रा द्वारा रक्षित द्रव्य नहीं लिया गया तो उस पर महाविद्यालय का अधिकार होगा।

8 गृह विज्ञान की तीनों कक्षाओं की छात्राओं को प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री स्वयं लानी होगी।

9 पूरक परीक्षा में असफल होने वाली छात्रा को शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

10 छात्रवृत्ति 75% उपस्थिति होने पर ही दी जायेगी।

विकास को समर्पित

महाविद्यालय विकास समिति

नवीन पुनर्गठित महाविद्यालय के त्वरित एवं बहुआयामी विकास के लिये "एक महाविद्यालय विकास समिति का गठन किया गया है जिसका नियमानुसार दिनांक 22 फरवरी 2017 को पंजीयन हो गया है, इसके अध्यक्ष प्राचार्य एवं अन्य सदस्य शहर के सांसद विधायक प्रबुद्ध शिक्षाविद्, जिलाधीश महोदय के प्रतिनिधि, अभिभावक एवं छात्र संघ अध्यक्ष हैं। समिति की बैठक वर्ष में माह जुलाई, अक्टूबर , जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में सुविधानुसार किसी एक दिन आयोजित किया जाना आवश्यक है। इन बैठकों में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कर महाविद्यालय में विकास कार्य करवाये जाते हैं।

मुख्यमंत्री उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति योजना

1. माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रूपये तक है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रव अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, के लिए 500/- रूपये प्रतिमाह छात्रवृति भुगतान किये जाने की वर्ष 2012-13 के बजट में घोषणा की गई है। यह योजना अल्प आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं सहायता प्रदान के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है।

2. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012 होगा।

3. इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

4. योजना अन्तर्गत लाभः-

(अ) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अल्प आय परिवारों के पात्र छात्र/छात्राओं को 500/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात् अधिकतम 5000/-रूपये वार्षिक भुगतान किया जावेगा।

(ब) इस योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र/छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षों तक ही लाभ प्रदान किया जावेगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा।

5. पात्रताः-

इस योजना का लाभ उन छात्र/छात्राओं को देय होगा जो निम्न समस्त शर्तों की पूर्ति करते हों-

(1) जिसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उस वर्ष की उच्च माध्यमिक परीक्षा में

संकायवार वरीयता (मेरिट) सूची अनुसार निम्न स्थान प्राप्त किया हुआ हो-

कला	-	प्रथम स्थान से 75,000 तक
विज्ञान	-	प्रथम स्थान से 55,000 तक
वाणिज्य	-	प्रथम स्थान से 20,000 तक

(2) उसके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय ढाई लाख अथवा कम होगी।

(3) वह राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राज. उच्च/तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत है।

(4) वह राजस्थान का मूल निवासी हो।

मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजनाएँ

1. समाज कल्याण छात्रवृति योजना
2. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना
3. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना
4. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

(5) महाविद्यालय में उड़ान योजना

राजस्थान सरकार के बजट घोषणा वर्ष 2021- 22 में प्रदेश की सभी युवतियों एवं महिलाओं को निशुल्क सेनेटरी पैड वितरण की घोषणा मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। "आई एम शक्ति उड़ान योजना" अंतर्गत महाविद्यालय में सैनिटरी नैपकिंस का वितरण गत अगस्त माह से छात्राओं को निरंतर किया जा रहा है।

गत सत्र में 43912 सेनेटरी नैपकिन पैकेट्स (प्रति पैकेट 6 पैड) का वितरण महाविद्यालय में छात्राओं को किया गया।

(6) उसे भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति अथवा समकक्ष योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं मिल रहा हो।

(7) उसका एस.बी.बी.जे. बैंक में जमा खाता हो।

इस हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति तथा अन्य कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की इच्छुक छात्राएँ अपने आधार कार्ड तथा एस.बी.बी.जे. बैंक की खाता संख्या अवश्य लिखें।

6. छात्रवृत्ति की निरन्तरता की प्रक्रिया:-

छात्रवृत्ति राशि का भुगतान पाँच वर्ष की अवधि अथवा उच्च/तकनीकी अध्ययन जारी रखने तक, जो भी पहले हो, देय होगी परन्तु चयनित छात्र को प्रति वर्ष इसका नवीनकरण कराना आवश्यक है, जिससे कि ये प्रमाणित किया जा सके कि नियमित अध्ययनरत उच्च शिक्षा जारी है।

इस हेतु छात्र/छात्रा को प्रपत्र ''ब'' में आवेदन पत्र भर कर अपने संस्था प्रधान को 20 अगस्त तक प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ पूर्व वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकतालिका की प्रति संलग्न हो। संस्था प्रधान सत्यापित कर आवेदन पत्र को नोडल अधिकारी को दिनांक 31 अगस्त तक प्रेषित कर देंगे।

अनुशासनात्मक कार्यवाही

महाविद्यालय की प्रत्येक छात्रा से अनुशासन में रहने की अपेक्षा की जाती है, महाविद्यालय परिसर में धरने देना, नारे लगाना, अवांछनीय तत्वों को लाना, किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार, दुराचरण, दुराग्रह, अध्ययन के प्रति उपेक्षा एवं अन्य कोई अपराध, जिससे महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को हानि हो, दण्डनीय अपराध है। अपराध की प्रवृत्ति एवं गंभीरता के अनुसार प्राचार्य को कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की धारा 0.88 के अन्तर्गत निम्नानुसार दण्ड देने का अधिकार होगा-

(क) कम से कम एक माह का निष्कासन।

(ख) कम से कम 6 माह का बहिष्करण।

(ग) आगामी परीक्षा में बैठने से रोकना।

(घ) कक्षाओं में उपस्थित होने से रोकना।

(ड़) छात्रवृत्ति अथवा महाविद्यालय से मिलने वाले अन्य लाभों से वंचित कर देना।

(च) तोड़ फोड़ से हुई महाविद्यालय की क्षतिपूर्ति हेतु जुर्माना।

(छ) छात्र संघ चुनाव में भाग लेने से रोकना।

"वही व्यक्ति सर्वा धक सुन्दर है जो अपने शष्टाचार से दूसरों पर वजय प्राप्त कर लेता है। बिना शष्टाचार के सौन्दर्य का कोई मूल्य नहीं ....

स्वेट मार्टेन

पुस्तकालय

राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा नवीन पुनर्गठित महाविद्यालय है। वर्तमान में यह महाविद्यालय अपने पैतृक महाविद्यालय परिसर (जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय, कोटा) में ही संचालित है। इसलिए पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधाएँ कला संकाय की छात्राओं के लिए फिलहाल पूर्ववर्ती वर्षों की भाँति ही यथावत् है।

विशेष: महाविद्यालय का पुस्तकालय राजस्थान के महाविद्यालयों में अग्रणी पुस्तकालय है, जो कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है, जिसमें लगभग 74500 से अधिक पुस्तकें हैं। पुस्तकालय से जारी की जाने वाली सभी पुस्तकें कम्प्यूटर द्वारा जारी की जाती हैं। विद्यार्थियों द्वारा अपनी आवश्यकता की कोई भी पुस्तक खोजने के लिए ऑपेक टर्मिनल के कम्प्यूटर पर जाकर सम्बन्धित पुस्तक का शीर्षक, लेखक, प्रकाशक या विषय में से किसी भी एक को टाइप करके खोजा जा सकता है। खोजने के बाद उस पुस्तक की अलमारी संख्या, पुस्तक की कितनी प्रतियाँ पुस्तकालय में हैं एवं पुस्तकालय में उसकी प्रति उपलब्ध है या नहीं है? और यदि नहीं है तो किसको जारी की गई है और कब तक वापिस लौटाई जायेगी, की जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ-साथ उस पुस्तक को बुक भी कराया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय बनाने हेतु इनफ्लिबनेट एवं इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

विद्यार्थियों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा:-

1. महाविद्यालय में शुल्क जमा कराने के पश्चात् विद्यार्थी को अपना परिचय पत्र लेकर पुस्तकालय में जाकर अपना फोटो खिंचवाना होगा। फोटो खिंचने के बाद ही विद्यार्थी को एक फोटो के साथ बार कोड छपा हुआ पुस्तकालय का परिचय पत्र मिलेगा, जिसे पुस्तकालय में प्रवेश के लिए दिखाना अनिवार्य होगा। स्नातक स्तर पर दो एवं स्नातकोत्तर स्तर पर तीन पुस्तकें जारी की जायेंगी।

2. जिन विद्यार्थियों पर पिछले वर्षों की पुस्तकें बकाया हैं, उनका नया कार्ड नहीं बनाया जायेगा।

3. पुस्तकालय से पुस्तक जारी करवाते समय अच्छी तरह से जांच कर लें। यदि क्षतिग्रस्त हो तो तुरन्त पुस्तकालय अध्यक्ष की जानकारी में लाकर संबंधित पृष्ठ पर हस्ताक्षर करवायें

अन्यथा पुस्तक के क्षतिग्रस्त होने पर विद्यार्थी से उस पुस्तक की दुगुनी राशि वसूल की जायेगी।

4. पुस्तकों के पन्ने मोड़ना या उन पर नाम लिखना दण्डनीय अपराध हैं। इस प्रकार खराब की गई या खो गई पुस्तक का दुगुना मूल्य वसूल किया जायेगा।

5. पुस्तकें कम्प्यूटर से जारी होने के कारण जब तक विलम्ब शुल्क नहीं चुकाया जायेगा तब तक उस विद्यार्थी को कम्प्यूटर दूसरी पुस्तक जारी नहीं करेगा।

6. पुस्तकालय की पुस्तकों में दो स्थानों पर बार कोड सेलो टेप से चिपकाये हुये हैं। इस बार कोड के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करें क्योंकि इन बार कोड में ही पुस्तक का पूरा विवरण रिकार्ड किया हुआ है।

7. बार कोड को क्षतिग्रस्त करने पर 50/-रूपये प्रति बार कोड की दर से आर्थिक दण्ड लिया जायेगा तथा उसके बाद उस विद्यार्थी को उस सत्र में काई भी पुस्तक जारी नहीं की जायेगी।

8. परीक्षा में बैठने से पूर्व पुस्तकालय की सभी पुस्तकें जमा कराना अनिवार्य है। पुस्तकालय से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जाती है कि परीक्षा के दौरान आवश्यक पुस्तक का दुगुना मूल्य जमा करवाकर परीक्षा समाप्ति तक पुस्तक अपने पास रख सकता है किन्तु परीक्षा समाप्ति की तिथि से दो माह तक भी पुस्तक वापिस जमा नहीं होती है तो विद्यार्थी की राशि जब्त कर राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

9. कोई भी विद्यार्थी जारी कराई गई पुस्तक को अधिकतम 15 दिन तक रख सकता है। इस अवधि के बाद लौटाई गई पुस्तक पर कम से कम 1/-रूपया प्रथम 15 दिवस के लिए तथा उसके पश्चात् 0.50 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

10. विद्यार्थी को वांछित पुस्तक यदि किसी को जारी है तो उस पुस्तक को अग्रिम बुक करवाया जा सकता है। जब भी वह पुस्तक पुस्तकालय में जमा होगी तो पहले बुकिंग करवाने वाले विद्यार्थी को ही मिलेगी।

निम्नलिखित सामग्री/पुस्तकें पुस्तकालय से जारी नहीं की जायेंगी-

1. पाण्डुलिपियां।
2. संदर्भ ग्रन्थ।
3. दुर्लभ पुस्तकें।
4. संदर्भ कक्ष में रखी पुस्तकें पाठ्यक्रम व प्रश्न पत्र।
5. शब्दकोष।

> “जो चत्त की शुद् ध करे, मन और इन्द्रियों पर संयम सखाये, निर्भयता और स्वावलम्बन उत्पन्न करे, जीवन निर्वाह का साधन बताये, गुलामी से छूटने तथा स्वतंत्रता में रहने की सामर्थ्य और उत्साह पैदा करे - वही सच्ची शक्षा है।”
>
> महात्मा गाँधी

छात्रावास

राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा नवीन पुनर्गठित महाविद्यालय है। वर्तमान में यह छात्रावास वाणिज्य कन्या महाविद्यालय परिसर (जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय, कोटा) में ही संचालित है। इसलिए छात्रावास सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधाएँ कला संकाय की छात्राओं के लिए फिलहाल पूर्ववर्ती वर्षों की भाँति ही यथावत् है।

विशेष: छात्राओं के लिये महाविद्यालय परिसर में ही छात्रावास अवस्थित है। इसके नवनिर्मित भवन में 100 छात्राओं के लिए स्थान उपलब्ध है। जिसमें मैस, कॉमन रूम, डाइनिंग रूम, टी.वी. सहित स्वागत कक्ष, जिम, खेलकूद कक्ष, मैदान एवं अतिथि गृह की सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास के संचालन हेतु राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता। अतः छात्रावास का समस्त संचालन भोजन-सुविधा सहित सहकारिता आधार पर छात्राओं द्वारा एकत्र राशि से एवं छात्राओं द्वारा ही किया जाता है। छात्रावास में रहने की इच्छुक छात्राएं एतदर्थ फॉर्म भरेंगी। छात्रावास में प्रवेश या नवीनीकरण के समय छात्रायें माता-पिता/संरक्षक को साथ लेकर ही समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करें। छात्रावास में प्रवेश चाहने वाली छात्राओं के लिये निम्नांकित नियमों की पालना आवश्यक है-

1. महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित छात्राओं को ही प्रवेश दिया जायेगा। रिक्त स्थान रहने पर सरकारी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की छात्राओं को भी प्रवेश दिया जा सकता है।

2. प्रवेश, योग्यता एवं आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि एवं गृह स्थान की दूरी के आधार पर ही दिया जायेगा।

3. छात्रावास में बिना सूचना के 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाली छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

4. सत्र के आरम्भ में ही पूरे सत्र का छात्रावास शुल्क देय होगा। 30 सितम्बर के बाद शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

5. छात्रावास की मैस राशि 1500/-रूपये (एक माह की राशि) छात्रावास में अग्रिम रूप से जमा रहेगी। छात्रा की परीक्षा के अनुसार अन्तिम माह में यह राशि समायोजित कर, शेष राशि वापस कर दी जाएगी।

मैस शुल्क में कटौती महाविद्यालय के बन्द होने की स्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति में नहीं होगी।

6. छात्रावास से बाहर जाने से पूर्व लिखित रूप में छात्रावास अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है।

7. छात्रावास में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता तथा नियम अवहेलना करने वाली छात्राओं का प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

8. छात्रावास के आवेदन फॉर्म की समस्त रिक्तियों को पूर्णरूपेण भरना आवश्यक है। छात्रावास के आवेदन पत्र में स्थानीय संरक्षक का स्थानीय पता एवं सम्पर्क नम्बर का उल्लेख अनिवार्य होगा, इसके अभाव में फॉर्म निरस्त किया जा सकता है।

विशिष्ट गतिविधियाँ

युवाओं को रोजगार हेतु राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में निजी भागीदारी से इस सत्र में प्रत्येक छात्रा को एन.सी.सी., एन.एस.एस., रोवरिंग, रेंजरिंग इत्यादि में से किसी एक गतिविधि का चुनाव कर उससे सक्रिय रूप से सम्बद्ध होना आवश्यक है। महाविद्यालय स्तर पर सत्र के प्रारम्भ में ही की सत्र भर की गतिविधियों का कलैण्डर तैयार कर कार्यक्रम सम्पन्न किये जाएंगे। स्नातक अन्तिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर में अध्ययन कर रही सभी छात्राओं के लिए भी के कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। महाविद्यालय में छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु विशिट गतिविधियाँ संचालित की जा रही है।

- महिला प्रकोष्ठ - राष्ट्रीय महिला नीति – 2023-24
- छात्रा मार्गदर्शन ब्यूरो - हेल्प डेस्क
- प्लेसमेंट सैल
- नवाचार प्रकोष्ठ के अंतर्गत सीखो कमाओ योजना

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर

क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर संभाग (1st Floor RUSA Building)
शिक्षा संकुल, जयपुर
e- mail:adjaipurzone.cce@gmail.com

No: F4(102)R.O.J/CCE/2023/ 20 Date: 21.06.2023

To

All Principals
Government Colleges
Rajasthan.

Subject:- Calendar of Activities to be implemented in Colleges on the basis of **"Rajasthan Rajya Mahila Niti-2021".**

Sir/Madam,

As per the above you are hereby directed to implement the **"Calendar of Activities"** based on **"Rajasthan Rajya Mahila Niti-2021"** from the new session of 2023-24 in your colleges.

CALENDAR OF ACTIVITIES

Based on Rajasthan Rajya Mahila Niti-2021

JULY

1. Women/Girls Health
   - i. Awareness lectures/Rally/workshop on PCPNDT Act.
   - ii. Lectures on Nutrition/Personal Hygiene.
   - iii. Free Medical Aid Camps. (Dental Camps, Eye check up Camps etc.)
   - iv. Yoga and Stress Management Workshops.

AUGUST

2. Beneficiary Schemes for girls/women
   - i. Awareness regarding all schemes meant for girls/women as per Nideshalaya Mahila Adhikarita, Rajasthan. (awareness to be created through local officials/staff from Nideshalaya Mahila Adhikarita)
   - ii. Scholarships for girls in colleges/higher education- **Rajeev Gandhi Scholarship for Academic Excellence** and other scholarships meant for college girls (announced by Govt. of Rajasthan).
   - iii. **"Distance Education Scheme for Girls-2022 (Balika Durusth Shiksha Yojana-2022)**

Signature valid
Digitally signed by [illegible] Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.21 [illegible]:15:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4099132

SEPTEMBER

3. Legal Awareness Lectures
    i. Sexual Harassment of Women at Work Place (SHWW) Act 2013
    ii. Dowry Act-1986/ Property rights for Women.
    iii. Camps/Workshops regarding Personal Security (Training to be given by Nirbhaya Squad, Rajasthan Police)

OCTOBER

4. Accident related Awareness.
    i. Road Safety and Traffic Rules.
    ii. Coordination with Trauma Care Centers- Post accident.
    iii. Insurance awareness regarding Vehicles and Individual.
    iv. Teaching of Driving Vehicles and Processing License.

NOVEMBER

5. Awareness regarding Economic Independence of girls.
    i. Lectures on- Creation of Self Help Groups (SHG)
    ii. Information about MSME through Industry Officials.
    iii. Lectures on various Skill Development Programme.
    iv. Avail of loans from bank for Start ups – conducting workshops through Bank.

DECEMBER

6. Educating/Motivating Girls to accept Agriculture or any field related to agriculture as a viable mode for employment.
    i. Lectures on Horticulture/Sericulture/Drip Irrigation/Fertilizers/Organic farming/Hydroponic farming/New techniques adopted in agriculture/ Avail of loans regarding agriculture, etc.
    ii. Awareness regarding **"Rajasthan Millet Protsaahan Mission."**

JANUARY

7. Educating Girls about Gram Panchayat and Leadership in Rural Sector.
    i. villages can be a platform for future career for those girls students who are village oriented – Motivational lectures can be arranged.
    ii. Inviting Sarpanch for Lectures in rural/village development.

FEBRUARY

8. Awareness of Schemes for girls as per Social Welfare Department.
    i. Lectures by Social Welfare Officers.
    ii. Visit of girls student to Old Age Homes/Orphanage/Homes for mentally challenged/Destitute homes - to make girls student more Emphathetic towards social problems.

Signature valid
Digitally signed by S[illegible] Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.0[illegible].21 1[illegible]:15:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4099132

''दिशा'' परामर्श केन्द्र-

छात्राओं एवं महिलाओं की सामाजिक व मानसिक समस्याओं के निदान हेतु 'दिशा' नामक परामर्श केन्द्र संचालित है। इस केन्द्र में समय-समय पर विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा परामर्श प्रदान किया जाता है। छात्राएं अपनी मन की उलझन काउंसलर को बता सकती हैं। प्राप्त जानकारी और परामर्श को गोपनीय रखा जाता है।

व्यक्तित्व विकास, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निदान और समाज के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में यह केन्द्र विशिष्ट स्थान रखता है।

छात्रा परामर्श केन्द्र-

महाविद्यालय में छात्राओं के मार्गदर्शन हेतु परामर्श केन्द्र स्थापित है। यह छात्राओं को उनके विषय से सम्बन्धित कॅरियर विषयक एवं उनकी आवश्यकता तथा जिज्ञासा के अनुरूप परामर्श प्रदान कर उनका पथ प्रशस्त करता है।

विभिन्न परिषद्-

(1) स्नातकोत्तर परिषद् (सभी विषय)

(2) स्नातक परिषद्

(3) नाट्य परिषद् (सांस्कृतिक मंच)

(4) साहित्यिक मंच

(5) पर्यावरण परिषद

शिक्षनेत्तर गतिविधियाँ-

1. खेलकूद

2. राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एन.सी.सी)

(अ) आर्मीविंग (ब) एयरविंग

3. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)- तीन इकाइयां

4. रेन्जरिंग

5. महिला अध्ययन प्रकोष्ठ

6. योजना मंच

7. मानव अधिकार क्लब

8. छात्रा संघ

9. एक भारत श्रेष्ठ भारत

10. उपभोक्ता क्लब

11. नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ

12. प्रतियोगिता दक्षता - निःशुल्क कोचिंग कक्षाएँ

विशेष :

(i) रेल एवं बस यात्रा रियायत

(ii) अल्पाहार गृह

(iii) वाहन स्थल

(iv) सुलभ कॉम्प्लेक्स

(v) ऑडिटोरियम

(vi) सेमीनार हॉल/ ज्ञान केन्द्र

(vii) ए.टी.एम.

(viii) बास्केट बॉल ग्राउण्ड

(xi) कम्प्यूटर लैब

(xi) वॉलीबॉल ग्राउण्ड

अनिवार्य उपस्थिति नियम

विद्यार्थियों को संबंधित कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययन करना है। विद्यार्थी के लिए सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक कक्षाओं में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की नियमावली में इसके लिए नियम दे रखे हैं।

उपस्थिति की अनिवार्यता के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश एफ 8/2/अकाद/निकाशी /उन/97/1154; दिनांक 9.11.1997 के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक कक्षाओं में पृथक्-पृथक् रूप में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसा विद्यार्थी जो निर्धारित 75 प्रतिशत उपस्थिति प्राप्त नहीं कर पायेगा उसे परीक्षा देने से रोक दिया जायेगा।

टिप्पणी: जो विद्यार्थी एन.सी.सी. परेड अथवा कैम्प, अन्तर्महाविद्यालय अथवा राज्य स्तरीय खेलकूद, सांस्कृतिक अथवा युवा समारोह में बाहर भाग लेने जाते हैं उन्हें उतने दिन उपस्थित समझा जायेगा जितने दिन वे ऐसे कार्यक्रम में भाग लेते हैं।

उपस्थिति में छूट का प्रावधान

(क) सत्र में बीमार विद्यार्थी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राचार्य प्रत्येक विषय में कुल उपस्थिति के अधिकतम 3 प्रतिशत की छूट दे सकता है।

(ख) विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को अधिकतम 6 प्रतिशत की छूट दे सकता है। स्नातक कक्षाओं में ऐसे नियमित विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम हैं वे स्वयंपाठी के रूप में उसी वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगें इसके लिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क जमा कराना होगा।

(ग) परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ऐसे छात्र 0.81-1 की शर्त के अनुसार अगली कक्षा में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश पा सकेंगे।

सभी संकायों में स्नातकोत्तर विद्यार्थी को उस प्रश्न पत्र में नियमित छात्रा के रूप में परीक्षा देने से वंचित कर दिया जायेगा जिसमें उसकी 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति है। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे परीक्षार्थियों को उस प्रश्न पत्रों में अनुपस्थित माना जायेगा। ऐसे विद्यार्थी आगामी परीक्षा में पूर्व छात्रा के रूप में परीक्षा दे सकेंगे। वे विद्यार्थी जिनके प्रायोगिक विषय नहीं हैं वे चाहे तो उसी वर्ष स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा दे सकते हैं।

पुरस्कार

महाविद्यालय में समय-समय पर विभिन्न परिषदों तथा छात्रसंघ के तत्वावधान में विभिन्न सह-शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। शैक्षणिक योग्यता तथा विभिन्न गतिविधियों में अग्रणी छात्राओं को विभिन्न पदक (मैडल्स) व पुरस्कार दिये जाते हैं।

सामान्य नियम

1. महाविद्यालय में प्रदान किये जाने वाले पदक एवं पुरस्कार इस महाविद्यालय की नियमित छात्राओं को ही दिये जाते हैं, पूर्व विद्यार्थियों को नहीं।

2. छात्रा द्वारा महाविद्यालय की समस्त परीक्षायें प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक है।

3. अनुशासनहीनता/दुर्व्यवहार की दोषी छात्रायें किसी भी पदक एवं पुरस्कार के योग्य नहीं होंगी।

4. यदि किसी पुरस्कार के लिये काई भी योग्य पात्रताधारी छात्रा नहीं है तो वह पुरस्कार देना अनिवार्य नहीं होगा।

	शीर्षक	**अर्हता**
1.	महाविद्यालय प्रदत्त	कला संकाय (स्नातक) में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
2.	श्री मदन मोहन शास्त्री स्मृति जयपात्र	स्नातकोत्तर स्तर पर संगीत (गायन) में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
3.	श्री नवीन चन्द्र कुलश्रेष्ठ स्मृति जयपात्र	स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी साहित्य में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
4.	श्रीमती राजेश माथुर स्मृति जयपात्र	स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थशास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
5.	श्रीमती गिरजा गुप्ता जयपात्र	स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
6.	श्रीमती राजेश माथुर स्मृति जयपात्र	स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
7.	सुश्री स्वाति बिन्दु कारिया स्मृति पुरस्कार (नगद राशि के रूप में)	स्नातक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में संस्कृत में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
8.	श्रीमती अनिता खन्ना स्मृति जयपात्र	स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय में

		सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
9.	लॉयनेस रजनी गुप्ता जयपात्र	स्नातक स्तर पर दर्शन शास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
10.	लॉयनेस रजनी गुप्ता जयपात्र	स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
11.	श्री बी.एम. बाली स्मृति पुरस्कार	'बेला मलिक' सुगम संगीत में सर्वश्रेष्ठ छात्रा
12.	महाविद्यालय प्रदत्त	सर्वोत्तम एन.सी.सी. कैडेट (आर्मी विंग)
13.	महाविद्यालय प्रदत्त	सर्वोत्तम एन.सी.सी. कैडेट (एयर विंग)
14.	इकबाल फ़ातिमा स्मृति	बी.ए. में उर्दू विषय सहित सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को 1100/- का नगद पुरस्कार
15.	इकबाल फ़ातिमा स्मृति जयपात्र	स्नातक स्तर पर उर्दू विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को 1100/- का नगद पुरस्कार
16.	डॉ. ए.क्यू. खान पुरस्कार	कला संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा
17.	महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त	सर्वश्रेष्ठ रेंजर छात्रा

नोट: कला संकाय के उपरोक्त लिखित व्यक्तिशः पुरस्कार/पदक मूल महाविद्यालय (जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय, कोटा) से प्राप्त होने पर ही दिया जाना संभव हो पाएगा।

सर्वश्रेष्ठ छात्रा-चयन का नियम

इस हेतु छात्रा को निर्धारित तिथि तक अपने सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस पुरस्कार के लिये 100 प्रतिशत अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा-

1. **शैक्षणिक उपलब्धियां - 45 प्रतिशत**
   - विगत वर्ष - द्वितीय वर्ष/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की छात्रा हो।
   - न्यूनतम 55ः अंक होने आवश्यक हैं तथा निम्न किसी भी एक गतिविधि में जिला स्तर या उससे उच्च स्तर का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

2. **सह शैक्षणिक उपलब्धियां - 15 प्रतिशत**
   - महाविद्यालय स्तर का प्रमाण पत्र - 2% (प्रथम पुरस्कार प्राप्त छात्रा)
   - अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर का प्रमाण पत्र - 4%
   - जिला/संभाग स्तर का प्रमाण पत्र - 6%
   - राज्य स्तर का प्रमाण पत्र - 8%
   - राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र - 10%
   - अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र - 15%

3. **खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./रेंजरिंग - 15 प्रतिशत**
   - उपर्युक्त नियमों के अनुसार ही चयन होगा।

4. **सांस्कृतिक उपलब्धियां - 15 प्रतिशत**
   - उपर्युक्त नियमों के अनुसार ही चयन होगा

5. **वर्षपर्यन्त व्यवहार/अनुशासन - 10 प्रतिशत**

उपर्युक्त गतिविधियों में दो छात्राएँ समान स्तर पर होने पर -

- उच्च कक्षा मे अध्ययनरत छात्रा को वरीयता दी जाएगी।
- समान कक्षा में होने पर अधिक गतिविधियों में भाग लेने वाली छात्रा को वरीयता दी जाएगी।
- फिर भी, समान स्थिति होने पर गत सत्र में उत्तीर्ण कक्षा में अधिक प्रतिशतांक प्राप्त छात्रा को वरीयता दी जाएगी।

प्रवेश समिति 2023-24

प्रवेश स मति **2023-24**

समग्र प्रवेश प्रभारी श्रीमती प्रेरणा शर्मा

प्रवेश प्रभारी (स्नातक स्तर)

1. प्रथम वर्ष कला श्रीमती मीरा गुप्ता

2. द्वतीय वर्ष कला प्रो0 रोशन भारती

3. तृतीय वर्ष कला प्रो0 राजेन्द्र माहेश्वरी

नोडल अ धकारी (स्नातक स्तर)

1. सुश्री अर्चना सहारे

नोडल अ धकारी (स्नातकोत्तर स्तर)

1. डॉ. जितेश जोशी

प्रथम वर्ष ऑनलाइन आवेदन जाँच स मति

1. प्रो (डॉ.) सुबोध कुमार
2. प्रो (डॉ.) हिमानी संह
3. प्रो (डॉ.) श्रद्धा सोरल
4. प्रो (डॉ.) राजमल मालव
5. श्री धर्म संह मीणा
6. श्री रजनीश कुमार जैन
7. डॉ. प्रयंका वर्मा

8. डॉ. गरेन्द्रपाल संह

प्रवेश प्रभारी (स्नातकोत्तर स्तर)

1.	अर्थशास्त्र	प्रो0 (डॉ.) सुनीता शर्मा
2.	हिन्दी	प्रो0 (डॉ.) प्रभा शर्मा
3.	इतिहास	प्रो0 (डॉ.) बबीता संघल
4.	संगीत	श्रीमती प्रेरणा शर्मा
5.	राजनीति वज्ञान	प्रो0 (डॉ.) सोमवती शर्मा
6.	लोक प्रशासन	श्री रजनीश कुमार जैन
7.	समाजशास्त्र	प्रो0 (डॉ.) त्रिबुनाथ दुबे
8.	गृह वज्ञान	प्रो0 (डॉ.) दीपा स्वामी
9.	जी.पी.ई.एम.	प्रो0 (डॉ.) बिन्दु चतुर्वेदी

ववर णका स मति

1. प्रो0 (डॉ.) मनीषा शर्मा

हेल्प डेस्क

1. डॉ रेनू शर्मा
2. श्रीमती सपना कोतरा
3. प्रो (डॉ.) श्रुति अग्रवाल

अनुशासन स मति

1. प्रो0 (डॉ.) प्रेरणा सक्सेना (प्रभारी)
2. प्रो0 (डॉ.) बिन्दु चतुर्वेदी
3. प्रो0 (डॉ.) त्रिबुनाथ दुबे
4. प्रो0 (डॉ.) सुनीता शर्मा

5. प्रो0 (डॉ.) सोमवती शर्मा

6. प्रो0 (डॉ.) दीपा स्वामी

राजकीय कला कन्या महा वद्यालय, कोटा

सत्र **2023-24**

हेल्प डेस्क

(प्रवेश सहायता काउंटर)

वद्यालय से सम्बन्धी पूछताछ के लए सम्पर्क करें:

1. डॉ. रोशन भारती (प्रभारी)
2. डॉ. प्रभा शर्मा
3. श्रीमती सपना कोतरा

दूरभाष संपर्क: 0744- 2324075

राजकीय कला कन्या महा वद्यालय, कोटा

महाविद्यालय परिवार 2023-24

प्राचार्य - प्रो0 (डॉ.) अशोक कुमार गुप्ता

अंग्रेजी वभाग-

1. श्रीमती सपना कोतरा
2. डॉ. दीप्ति जोशी

हिन्दी वभाग-

1. प्रो0 (डॉ.) प्रभा शर्मा
2. प्रो0 (डॉ.) कुमुद श्रीवास्तव
3. प्रो0 (डॉ.) मनीषा शर्मा
4. प्रो0 (डॉ.) हिमानी संह
5. डॉ. (डॉ.) क वता मीणा
6. डॉ. (डॉ.) यशोदा मेहरा

संगीत वभाग-

1. श्रीमती प्रेरणा शर्मा
2. प्रो0 (डॉ.) रोशन भारती
3. प्रो0 (डॉ.) राजेन्द्र माहेश्वरी
4. प्रो0 (डॉ.) पुनीता श्रीवास्तव

गृह वज्ञान वभाग

1. प्रो0 (डॉ.) श श शर्मा (प्रतिनियुक्ति पर)
2. प्रो0 (डॉ.) दीपा स्वामी
3. प्रो0 (डॉ.) श्रुति अग्रवाल

संस्कृत वभाग-

1. प्रो0 राजमल मालव

इतिहास वभाग-

1. प्रो0 (डॉ.) बबीता संघल
2. प्रो0 (डॉ.) शव कुमार मश्रा
3. श्रीमती मथलेश सोलंकी

जी.पी.ई.एम. वभाग-

1. प्रो0 बिन्दु चतुर्वेदी

अर्थशास्त्र वभाग-

1. श्रीमती मीरा गुप्ता
2. प्रो0 (डॉ.) सुनीता शर्मा
3. श्रीमती क वता मकवाना
4. श्री धर्म संह मीणा

राजनीति वज्ञान वभाग-

1. प्रो0 (डॉ.) सोमवती शर्मा
2. प्रो0 श्रद्धा सोरल (प्रतिनियुक्ति पर)
3. प्रो0 (डॉ.) ऊमा बड़ो लया
4. श्रीमती बीनू कुमावत

समाजशास्त्र वभाग-

1. प्रो (डॉ.) अनिता तम्बोली
2. सुश्री अर्चना सहारे
3. प्रो (डॉ.) त्रिभूनाथ दुबे
4. प्रो (डॉ.) सुबोध कुमार
5. डॉ. (सुश्री) ज्योति सडाना
6. डॉ. (सुश्री) पारूल संह
7. श्रीमती प्रीति मीणा (प्रतिनियुक्ति पर)
8. श्री मो. रिज़वान खान
10. डॉ. (श्रीमती) सरोज मीणा (सं वदा)

दर्शनशास्त्र वभाग-

1. श्री इरफान अहमद (प्रतिनियुक्ति पर)

लोक प्रशासन -

1. डॉ. (श्रीमती) मीनाक्षी यादव (प्रतिनियुक्ति पर)
2. श्री रजनीश कुमार जैन

भूगोल वभाग-

1. डॉ. (श्रीमती) रेनू शर्मा
2. डॉ. जीतेश जोशी

उर्दू वभाग-

1. रिक्त पद

टी.डी.पी. वभाग-

1. डॉ. (श्रीमती) प्रेरणा सक्सेना
2. डॉ. गरेन्द्र संह पाल

ड्राईंग व पेन्टिंग-

1. डॉ. प्रयंका वर्मा

शारीरिक शक्षा वभाग-

1. रिक्त पद-1

पुस्तकालयाध्यक्ष

1. रिक्त पद-1

1. श्री रामकुमार

2. श्री नितिन कुमार

3. श्री लक्ष्मीचंद

मंत्रालयिक कर्मचारी

1. श्री भूपेन्द्र शर्मा (प्रशासनिक अ धकारी)

2. श्री ल लत मोहन पारेता (स.प्र.अ)

3. श्री तरुण डागल (वरिष्ठ सहायक)

सहायक लेखा धकारी

1. श्री जय संह मीणा

तबला वादक

1. श्री देवेन्द्र कुमार सक्सेना

प्रयोगशाला सहायक

1. श्री अशोक कुमार गोचर

2. सुश्री आ शमा संह

प्रयोगशाला परिचायक

रिक्त पद -1

सहायक कर्मचारी